

श्रम क०सं०-74/2026-1122
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अन्तर्गत श्रम अधीक्षक, मुंगेर के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 05 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से कुल राशि रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपए) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार नं०	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० नोखेलाल दास, 60, स्व० परमेश्वर दास, अनु० जाति	माला देवी, (पत्नी)	567 04.04.2026	ग्रा०-मोकवीरा चाय टोला, पो०-हेरुदियारा, था०-कासिमबाजार, प्र०-मुंगेर सदर, जिला-मुंगेर 9608490742	3421657 7458	SBI SBIN0000 136	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, ईट भट्ठा में मजदूरी का कार्य
2	स्व० मखरी देवी, 58, प्रकाश रजक, अनु० जाति	प्रकाश रजक, (पति)	595 07.04.2026	ग्रा०+पो०-संग्रामपुर, था०+प्र०-संग्रामपुर, जिला-मुंगेर, 9661321260	0494010 0005146	UCO BANK UCBA000 0494	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, दर्जी का कार्य
3	स्व० श्याम कुमार सोरेन, 44, चेतन सोरेन, अनु० जाति	सुखनी देवी, (पत्नी)	605 08.04.2026	ग्रा०-भाविपुरा, पो०-हवेली खड़गपुर, था०+प्र०-हवेली खड़गपुर, जिला-मुंगेर, 9341553896	0737000 1032292 13	PNB PUNB007 3700	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
4	स्व० लक्ष्मी कुमारी, 28, अवदेश कुमार, अनु० जाति	अवदेश कुमार, (पति)	681 18.04.2026	ग्रा०-बिषय, पो०-मानिकपुर, था०+प्र०-तारापुर, जिला-मुंगेर, 7004225897	5261810 0000325	BOB BARB0TA RMUN	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूरी का कार्य
5	स्व० जसमी देवी, 58, हीरा मांझी, 58, अनु० जाति	हीरा मांझी, (पति)	783 30.04.2026	ग्रा०-फुलवरिया, पो०-रमनकाबाद, था०+प्र०-हवेली खड़गपुर, जिला-मुंगेर, 9955419173	3206011 0100908	BGB PUNB0M BGB06	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, ईट भट्ठा में मजदूरी का कार्य

कुल राशि:-रु० 2,50,000/-

(दो लाख पचास हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011"/बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक



ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-74/2026-11९९

पटना, दिनांक :- १९/०८/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, मुंगेर/उप श्रमायुक्त, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आस्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

19/08/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक